

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरैक) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी धारा 8, अनुसूची ख, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

24 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बोर्ड बैठक में बाइरैक के बोर्ड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) को मंजूरी दी। बाइरैक की सीएसआर नीति को कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 और “डीपीई दिशानिर्देश” के साथ पठित (कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया था।

सीएसआर नीति के लिए विजन और मिशन वक्तव्य:

विजन वक्तव्य: बाइरैक, अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से समाज और समुदाय में मूल्य सृजन में संवर्धन को जारी रखेगा, ताकि सामाजिक रूप से उत्तरदायी सीपीएसई के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए समाज और समुदाय के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा दे सके।।

मिशन वक्तव्य: कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप इस नीति का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव के सृजन की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र के साथ दीर्घ, मध्यम और लघु काल की अवधि में कंपनी की विशिष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य नीतियों को विकसित करना है।

2. सीएसआर समिति कागठन: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (22 जनवरी, 2021 से लागू) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की अपेक्षा लागू नहीं होगी और धारा 135 के तहत उपबंधित ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

इसलिए, उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, बोर्ड ने 30 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 49वीं बोर्ड बैठक में सीएसआर गतिविधियों के लिए 10,80,794/- रुपये के बजटीय आवंटन को मंजूरी दे दी, जो ठीक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुए शुद्ध अधिशेष/ लाभ का 2% है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को सीएसआर आंतरिक समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावों की जांच करने के लिए अधिकृत किया इसके अलावा, सीएसआर समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श किया और मंजूरी दी कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 10,80,794 रुपये (दस लाख अरसी हजार सात सौ चौरानवे रुपये मात्र) के सीएसआर फंड को स्वच्छ भारत कोष में लगाया जाएगा जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (i) में विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध गतिविधियों में से एक है।

3. वेब-लिंक जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर आंतरिक समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाता है: www.birac.nic.in.

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और इस वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रु.में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रु.में)
		लागू नहीं	



6. धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ: **5,40,39,714.66/- रु.**
7. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: **10,80,794/- रु.**
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से अधिशेष: लागू नहीं
- (ग) इस वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ की जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: लागू नहीं
- (घ) इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): **10,80,794/- रु.**
8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:


वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
10,80,794/-					लागू नहीं

ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के प्रति खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या		
लागू नहीं										

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन की विधि-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
1.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	मद (i)	नहीं	पूरा भारत	पूरा भारत	10,80,795	हाँ	स्वच्छ भारत कोष
				कुल	10,80,795			



वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: शून्य
- (ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): **10,80,795 रु.**
- (छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	10,80,794/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	10,80,795/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	Nil
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	Nil

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	अंतरण की तिथि	
लागू नहीं							

- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपए में)	परियोजना की रिथिति-पूर्ण / जारी
लागू नहीं								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति—वार विवरण): लागू नहीं

- (क) पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं



- (ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं
- (ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं
- (घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: लागू नहीं

हस्ता/—
डॉ. अलका शर्मा
(प्रबंध निदेशक)

हस्ता/—
एफसीए सुश्री निधि श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

तिथि: 24 नवम्बर, 2022

स्थान: नई दिल्ली